न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
401 / 2023	22.12.2023	26.02.2024

उनवान

1. सुरेशचन्द्र खटीक पुत्र श्री प्रभु लाल खटीक, आयु वयस्क, निवासी— दादाबाड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. मोती लाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाट, जाति जाट, आयु वयस्क निवासी कान्दा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. काना पुत्र श्री देवा गाडरी, जाति गाडरी , आयु वयस्क, निवासी कान्दा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. घीसा पुत्र श्री देवा गाडरी, जाति गाडरी आयु वयस्क, निवासी कान्दा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. मोती पुत्र श्री देवा गाडरी, जाति गाडरी आयु वयस्क, निवासी कान्दा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. कमला देवी पत्नी स्व0 श्री भैरू गाडरी, जाति गाडरी आयु वयस्क, निवासी कान्दा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. मंगना पुत्र श्री छोगा माली, जाति माली, आयु वयस्क निवासी कान्दा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा, राज0

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी विकास जायसवाल
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कान्दा प0ह0 कान्दा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074—2077 के खाता संख्या 664 की अभिलिखित आराजियात 531 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0622 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा कान्दा प0ह0 कान्दा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 664 की अभिलिखित आराजियात 531 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0622 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा